

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 380/2009
संस्थित दिनांक 09.10.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी, मप्र

- अभियोगी

वि रू द्ध

1. किशोर पिता खुश्याल भिलाला,
उम्र 60 वर्ष, निवासी छापरी
2. नानुराम पिता किशोर भिलाला,
उम्र 35 वर्ष, निवासी छापरी
3. शेरू पिता सदिया भिलाला,
उम्र 50 वर्ष, निवासी छापरी
4. तिलक पिता छतरसिंह भिलाला
उम्र 19 वर्ष, निवासी छापरी
5. कैलाश पिता रामा भिलाला,
उम्र 33 वर्ष, निवासी जुनाझीरा,
थाना सिलावद

- अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्तगण द्वारा अभिभाषक - श्री आर.के.श्रीवास

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 25-11-2016 को घोषित)

01- पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 154/2009 के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 27.08.2009 को दोपहर में 12:30 बजे ग्राम छापरी स्थित खेत सर्वे नंबर 88 में मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने, जिसका सामान्य उद्देश्य तहसीलदार और उसके सहयोगी कर्मचारीगण को लोक कर्तव्य करने से विरत करने के लिए उनके विरुद्ध आपराधिक बल प्रयोग या हमला या अन्य अपराध करने का था तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बल्वा करने तथा लोक सेवक तहसीलदार एम.पी.एस. राठौर राजस्व निरीक्षक खुमानसिंह, पटवारी जगन्नाथ निंगवाल चौकीदार भारत को लोक कर्तव्य के निर्वहन से विरत करने के लिये भयोपरत करने हेतु उन पर हमला करने के लिये भा.द.पि. की धारा 148, 353 एवं 353/149 का आरोप विरचित किया गया है।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2009 को

खुमानसिंह चौहान राजस्व निरीक्षक माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के आवेदक सकुबाई सेन की ग्राम छापरी की कृषिभूमि खसरा नम्बर 88, रकबा 24.98 एकड़ का कब्जा दिलाने हेतु तहसीलदार अंजड श्री पी.एस. राठौर राजस्व निरीक्षक अंजड श्री के. एस. चौहान हल्का पटवारी श्री जगन्नाथ निंगवाल एवं पुलिस फोर्स कोटवार को लेकर गया था, वहां पर अनावेदक पक्ष शेरू पिता सदिया आदि की ओर से लगभग 150 की संख्या में पुरुष-महिला एवं बच्चें उपस्थित थे जिनके हाथों में पत्थर और लकड़ियां आदि थी, जिन्हें समझाने का प्रयास करने पर भी उन्होंने कब्जा नहीं दिया और काफी उग्र हो गये तथा आवेदक पक्ष भरत कुमार पिता बाबूलाल सेन की ओर से भी व्यक्ति खेत में आने लगे तथा राजस्व निरीक्षक तहसीलदार आदि को घेर लिया और स्थिति गंभीर बनने लगी तभी तहसीलदार अंजड पुलिस बल के साथ वापस आ गये और आवेदक पक्ष ने भूमि का प्रतिकारात्मक कब्जा भी प्राप्त नहीं किया तथा वापस आकर राजस्व निरीक्षक ने इस घटना की लेखी रिपोर्ट तहसीलदार अंजड को दी, तहसीलदार अंजड को घटना की रिपोर्ट लिखने के लिये निर्देश दिये जिसके आधार पर दिनांक 01.09.2009 को अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 154/2009 दर्ज कर विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेख कर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जप्त किये गये, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नक्शामौका बनाया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना पूरा कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्तगण को भादवि की धारा 148, 353, 353/149 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर पढ़ाकर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्तगण परीक्षण में अभियुक्तगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27.08.2009 को दोपहर में 12:30 बजे ग्राम छापरी स्थित खेत सर्वे नंबर 88 में मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य तहसीलदार और उसके सहयोगी कर्मचारीगण को लोक कर्तव्य करने से विरत करने के लिए उनके विरुद्ध बल या हिंसा का प्रयोग करना था ?
(ii)	क्या अभियुक्तगण ने लोक सेवक तहसीलदार एम.पी.एस. राठौर राजस्व निरीक्षक खुमानसिंह, पटवारी जगन्नाथ निंगवाल चौकीदार भारत को लोक कर्तव्य के निर्वहन से विरत करने के लिये भयोपरत करने हेतु उन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया?
(iii)	क्या अभियुक्तगण ने उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सह अभियुक्तगण ने सेवक तहसीलदार एम.पी.एस. राठौर, राजस्व निरीक्षक खुमानसिंह, पटवारी जगन्नाथ निंगवाल चौकीदार भारत को लोक कर्तव्य के निर्वहन से विरत रहने के लिए भयोपरत करने हेतु उन पर

	हमला किया?
--	------------

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i), (ii), (iii) पर सकारण निष्कर्ष -

06- उपरोक्त तीनों ही विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

07- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी भरतकुमार सेन का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है, घटना वर्ष 2009 की है, उसकी अंजड़-ठीकरी रोड पर ग्राम छापरी के सर्वे नम्बर 88 की कृषिभूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसे कब्जा दिलाये जाने का आदेश किया गया था, उसकी उक्त भूमि पर कब्जा दिलवाने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं आये थे और उसे जिस भूमि का कब्जा दिलवाया जाना था वहा पर अभियुक्तगण तथा उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई भीड़-भाड़ इकट्ठी नहीं हुई थी। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं थे इस कारण किसी प्रकार से कोई भी शासकीय बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे तहसील अंजड़ में तलब कर दिनांक 27.08.2009 को कृषिभूमि का कब्जा दिलवाये जाने हेतु पाबंद किया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह तथा ग्राम मंडवाड़ा के अन्य व्यक्ति उक्त कृषिभूमि पर कब्जा लेने के लिये गये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वे उक्त भूमि से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर खड़े थे। साक्षी इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 27.08.2009 को कृषिभूमि का कब्जा दिलाने के लिये तहसीलदार गिरधावर, पटवारी, चौकीदार पुलिस बल के साथ आये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि तभी अभियुक्तगण ने हाथों में लकड़ी और पत्थर लेकर कृषिभूमि का कब्जा नहीं दिलाने दिया यहां तक की साक्षी ने प्रदर्श पी 9 के कथनों में भी उक्त बातें पुलिस को बताने से इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृषिभूमि का कब्जा मिलने के बाद उसका अभियुक्त छतरसिंह के परिवार वालों से कोई विवाद शेष नहीं रह गया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह इस कारण असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ तथा तहसीलदार, एस.डी.एम., पटवारी एवं गिरधावर के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया था।

08- जगन्नाथ (अ.सा.2) का कथन है कि वह अभियुक्तगण शेरू, किशोर, नानुराम को जानता है तथा शेष अभियुक्तगण को नहीं जानता है, वर्ष 2009 में ग्राम छापरी हल्के का पटवारी था तथा घटना वाले दिन वह, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पुलिस फोर्स के साथ ग्राम छापरी में न्यायालय के आदेश में छतर, किशोर, शेरू आदि से कृषिभूमि का कब्जा सकुबाई आदि को दिलवाने के लिये गये थे। मौके पर लगभग 100-150 व्याक्तियों की भीड़ इकट्ठी हो गयी थी, वहां पर भीड़-भाड़ को तहसीलदार राजस्व निरीक्षण, पुलिस के अधिरियों ने एवं उसने समझाया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विवादित कृषिभूमि का कब्जा आवेदक सकुबाई आदि को दिलवाना है, लेकिन घटना स्थल पर भीड़-भाड़ ने ज्यादा होने

से तथा स्थिति तनावपूर्ण होने से कब्जा नहीं दिलवाया गया, इसके संबंध में प्रदर्श पी 2 का पंचनामा राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाया गया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर भीड़ अत्यधिक होने के कारण वह नहीं बता सकता कि किन व्यक्तियों ने कब्जा दिलाने में बाधा उत्पन्न की थी। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि सर्वे नम्बर 88 की कृषिभूमि का कब्जा दिलवाने के संबंध में प्रदर्श पी 1 का आदेश तहसील न्यायालय अंजड़ से प्राप्त हुआ था तथा मौके पर अभियुक्त किशोर, नानुराम, शेरू एवं छतरसिंह के परिवार दसस्य खड़े थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उन व्यक्तियों के हाथ में पत्थर थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त व्यक्ति यह कह रहे थे कि वह जमीन का कब्जा किसी को नहीं देने देंगे तथा उन्होंने मौके पर कब्जे की कार्यवाही नहीं करने दी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मौके जो भीड़ उपस्थित थी उसमें से किसी ने भी राजस्व अधिकारी या पुलिस बल के साथ गाली-गलोच एवं विवाद नहीं किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर ज्यादा व्यक्तियों को देखकर तहसीलदार एम.पी.एस. राठौर ने यह बताया था कि कब्जा दिलाना संभव नहीं है इसलिये वे बिना कब्जा दिलाये वापस आ गये। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस बल की कमी के कारण उस दिनांक को कब्जा नहीं दिलाया गया, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि कब्जा दिलाने की कार्यवाही शुरू कर दी थी, लेकिन भीड़ देखकर बंद कर दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट या धक्का-मुक्की की घटना कारित नहीं की थी।

09— खुमानसिंह चौहान (अ.सा.1), महेन्द्र प्रतापसिंह (अ.सा.5) ने भी दिनांक 27.08.2009 को ग्राम छापरी सर्वे नम्बर 88 की भूमि का कब्जा दिलाने के संबंध में मौके पर जाने के संबंध में कथन किये हैं। महेन्द्र प्रतापसिंह (अ.सा.5) का यह भी कथन है कि उक्त भूमि का कब्जा भरत सेन को दिलाये जाने का आदेश प्राप्त होने पर उसने राजस्व निरीक्षक अंजड़ को प्रदर्श पी 1 का आदेश, कब्जा दिलाने हेतु जारी किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त पत्र की प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, थाना प्रभारी अंजड़ एवं पटवारी हल्का नम्बर 4 के पटवारी जगन्नाथ निंगवाल को दी थी तथा उक्त भूमि का कब्जा दिलाने के लिये थाना प्रभारी अंजड़ को पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल प्रदर्श पी 10 व प्रदर्श पी 11 का पत्र दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा डिक्रीदार एवं निर्णीत ऋणी को भी कब्जा दिलाये जाने की दिनांक को उपस्थित रहने के लिये निर्णित किया गया था। दिनांक 27.08.2009 को पुलिस बल, पटवारी तथा राजस्व निरीक्षण की उपस्थिति में कब्जे की कार्यवाही की जाने के लिये दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर समझाईस दी गई थी, लेकिन कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने आदेश का पालन करने से इंकार कर कब्जेदार व्यक्ति की ओर से आई भीड़ ने कहा कि वे कब्जा नहीं देंगे, उनके पास पत्थर एवं लकड़ी थी जिसके कारण पटवारी, राजस्व निरीक्षक और डिक्रीदार भयभीत हो गये थे। डिक्रीदार ने सांकेतिक कब्जा लेने से इंकार कर वास्तविक कब्जा लेने की बात कही तथा कब्जा दिलाने की कार्यवाही रोक दी गई। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि यदि मौके पर कोई विवाद नहीं होता तो उनके द्वारा कब्जा दिलाने की कार्यवाही कर

ली जाती। चूंकि घटना 6-7 वर्ष पुरानी है इसलिये उसे अभियुक्तगण के नाम याद नहीं है, उसने घटना के समय मुख्य पक्षकारों को देखा था और उनके नाम भी पता थे।

10- साक्षी ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 5 की रिपोर्ट जो राजस्व निरीक्षक द्वारा थाना अंजड़ में की गई थी वह उसके द्वारा अग्रेसित की गई थी तथा मौके पर कब्जे की कार्यवाही के समय अभियुक्त शेरू, किशोर, कालुराम एवं छतरसिंह के परिवार के सदस्य जिन्होंने मौके पर विवाद किया था, राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 एवं पंचनामा प्रदर्श पी 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर उसने दिनांक 01.09.2009 को राजस्व निरीक्षक को पुलिस थाना अंजड़ में प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित किया था जो प्रदर्श पी 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 27.08.2009 को उसके द्वारा थाना अंजड़ में कोई रिपोर्ट नहीं गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवाद करने वालों की भीड़-भाड़ अत्यधिक थी और पुलिस बल के लगभग 10-12 कर्मचारी थी इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई, विवाद करने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 200-225 थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में लिखे नामों की जानकारी उसे रिपोर्ट के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके साथ भीड़ के किसी भी व्यक्ति ने लड़ाई-झगड़ा, जोर-धमकी नहीं की थी और उसके सामने किसी भी शासकीय कर्मचारी ने या पुलिस कर्मचारी के साथ भीड़ ने लड़ाई-झगड़ा, मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन व पंचनामा प्रदर्श पी 2 व 3 का भेजा था उसमें विवाद करने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं लिखे थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा एस.डी.एम. साहब के दबाव में असत्य रूप से अभियुक्तगण के नाम दर्ज किये हैं।

11- खुमानसिंह चौहान (अ.सा.1) का यह भी कथन है कि वह आदेश के पालन में दिनांक 27.08.2019 को कब्जा दिलाने आये तब वहां पर 200 व्यक्ति उपस्थित हो गये ध्ने इस कारण स्थिति तनावपूर्ण होने से कब्जा नहीं दिलाया गया, तब वह लोग वापस आ गये और उसके द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी 2 का बनाया गया एवं तहसीलदार अंजड़ को प्रदर्श पी 3 का प्रतिवेदन दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 01.09.2009 को तहसीलदार का पत्र प्रदर्श पी 4 का प्राप्त हुआ था जिसमें उसे कब्जे की कार्यवाही में बाधा डालने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्श पी 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिये निर्देश किया तभी उसने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले किशोर, शेरू, नानुराम एवं छतरसिंह के परिवार के व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और प्रदर्श पी 5 के आधार पर पुलिस ने प्रदर्श पी 6 की रिपोर्ट दर्ज की जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है

कि प्रदर्श पी 2 व 3 के पंचनामों में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि कब्जा दिलाने की कार्यवाही में किस व्यक्ति ने बाधा उत्पन्न की थी। प्रदर्श पी 2 व 3 में अभियुक्तों के नाम भी नहीं लिखे हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि तहसीलदार अंजड़ का प्रदर्श पी 4 का पत्र प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा थाना अंजड़ में रिपोर्ट की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि उसे तहसीलदार का पत्र प्राप्त नहीं होता तो वह अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्श पी 5 व प्रदर्श पी 6 की रिपोर्ट नहीं करता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अभियुक्तों को नाम से नहीं जानता है और रिपोर्ट में भी अभियुक्तों के नाम वादग्रस्त भूमि पर उनके नाम पूर्व के स्वत्व के होने के आधार पर लिखवाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने पंचनामों की कार्यवाही में उन्हें रोकने वाले व्यक्तियों की पहचान भी नहीं करवाई थी।

12— पण्डू सावले (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 01.09.2009 को थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 154/2009 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके कह अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा प्रकरण में रोजनामंचा क्रमांक 973, 979, 980 दिनांक 27.08.2009 का प्रदर्श पी 11 एवं रोजनामंचा सान्हा क्रमांक 981 दिनांक 27.08.2009 प्रदर्श पी 12 का संलग्न किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 27.08.2009 को वह भी कब्जे की कार्यवाही में पुलिस बल के साथ गया था तथा मौके पर किसी भी कब्जेदार ने राजस्व निरीक्षक, पटवारी या अन्य के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की या झगड़ा नहीं किया था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि घटना के समय राजस्व निरीक्षक या पटवारी द्वारा कोई कार्यवाही की थी या नहीं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे साक्षीगण ने कोई कथन नहीं दिया था अथवा उसने वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में असत्य कार्यवाही की है अथवा असत्य कथन कर रहा है।

13— इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 27.08.2009 को ग्राम छापरी में स्थिति कृषिभूमि सर्वे नम्बर 88 पर अभियुक्तों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर लोक सेवक तहसीलदार एम. पी.एस. राठौर, राजस्व निरीक्षक खुमानसिंह, पटवारी जगन्नाथ निगवाल चौकीदार भारत को लोक कर्तव्य का निर्वहन से विरत करने के आशय से उन पर हमला एवं आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिये विधि जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उक्त लोक सेवकों पर विधि विरुद्ध जमाव एवं बल प्रयोग करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। साक्षी खुमानसिंह चौहान (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन के दौरान अभियुक्तगण को पहचानने से भी स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा सभी साक्षीगणों ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर उपस्थित भीड़ में से किसी भी व्यक्ति ने उनके साथ गाली-गलोच, झगड़ा, मारपीट या शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं की थी। खुमानसिंह चौहान (अ.सा.1) का यह भी कथन है कि यदि उसे तहसीलदार का पत्र प्राप्त नहीं होता तो वह अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श पी 5 और प्रदर्श पी 6 की रिपोर्ट नहीं करता और उसके द्वारा अभियुक्तगण के नाम वादग्रस्त भूमि पर उनके पूर्व के स्वत्व के आधार पर लिखवाया गया था। शेष अभियोजन साक्षी जगन्नाथ निगवाल (अ.सा.2), भारत (अ.

सा.3) ने भी अभियुक्तगण द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना और लोक सेवक पर अपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, यहां तक कि उन्हें कब्जे की कार्यवाही में कब्जा प्राप्त करने वालें व्यक्ति (डिक्रीदार) भरत कुमार सेन (अ.सा.4) ने भी अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किये हैं तथा अभियोजन के मामलें का पूर्णतः खण्डन किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा वे दोषमुक्त किये जाने के अधिकारी प्रतीत होते हैं।

14— अतः उक्त विवेचना के आधार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण किशोर पिता खुश्याल भीलाला, निवासी छापरी, नानुराम पिता किशोर भीलाला, निवासी छापरी, शेरू पिता सदिया भीलाला, निवासी छापरी, तिलक पिता छतरसिंह भीलाला, निवासी छापरी, कैलाश पिता रामा भीलाला, निवासी जुनाझिरा थाना सिलावद को भा.द.वि. की धारा 148, 353, 353/149 के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्तगण जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.